

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

श्रम अधीक्षक, सुपौल/लखीसराय/बक्सर/मधेपुरा/अररिया-1/शिवहर/शेखपुरा/बांका/अरवल/कैमूर।
पटना, दिनांक:- 27-6-17

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार-उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-101-औद्योगिक संबंध-मांग सं.-26-उपशीर्ष-0108-श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण(विपत्र कोड-26-2230011010108) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,


उपर्युक्त विषय के संदर्भ में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2812 दिनांक-16.05.17 के आलोक में चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में 31 मार्च, 2018 तक व्यय के निमित्त श्रम अधिनियमों के क्रियान्वयन हेतु प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत 13 कार्यालयी व्यय के अन्तर्गत विषयशीर्ष-0108.13.01 कार्यालय व्यय से D.G.S & D के निर्धारित दर पर/बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम 131 'ग' के आलोक में टेबूल, कुर्सी, आलमीरा, कम्प्यूटर एसेसरीज एवं अन्य उपस्कर हेतु निम्न प्रकार से निधि का आवंटन किया जाता है:-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	13 कार्यालयी व्यय	
		0108.13.01 कार्यालय व्यय	
1	श्रम अधीक्षक, सुपौल	300000	
2	श्रम अधीक्षक, लखीसराय	300000	
3	श्रम अधीक्षक, बक्सर	300000	
4	श्रम अधीक्षक, मधेपुरा	300000	
5	श्रम अधीक्षक, अररिया	300000	
6	श्रम अधीक्षक, शिवहर	300000	
7	श्रम अधीक्षक, शेखपुरा	300000	
8	श्रम अधीक्षक, बांका	300000	
9	श्रम अधीक्षक, अरवल	300000	
10	श्रम अधीक्षक, कैमूर	300000	
कुल योग		3000000	

कुल आवंटित राशि ₹ 3000000 (₹ तीस लाख) मात्र ।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-428/वि० दिनांक-31.03.17, पत्रांक-3002/वि० दिनांक-26.04.2017 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।
- इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।
- आवंटित राशि का व्यय संबंधित विपत्रों को जाँच कर नियमानुसार ही की जाय ।
- आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।
- यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,


(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक:-6/एफ1-303/17 श्र0सं0:- 30 पटना, दिनांक 27-6-17
प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

27/06/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक:-6/एफ1-303/17 श्र0सं0:- 30 पटना, दिनांक 27-6-17
प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/
संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/प्रशाखा-2 सरकार
पक्ष/बजट शाखा, प्रशाखा-06(श्रम पक्ष) /व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6(श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।

27/06/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार ।

ज्ञापांक:-6/एफ1-303/17 श्र0सं0:- 30 पटना, दिनांक 27-6-17
प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने
हेतु प्रेषित।

27/06/17
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

*स्पीड
पोस्ट